



CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

CENTRAL COALFIELDS LIMITED

A Miniratna Company

(Govt. of India Undertaking)

Marketing & Sales Department

Reg. Office: Darbhanga House, Ranchi

Jharkhand- 834 001

Phone: (0651), 2360369

Fax: (0651) 2360369

CIN NO: U10200JH1956GOI000581

E-mail: gmsnm.ccl@coalindia.in

Ref: CCL/HQ/C-4/24-25/ 1603

Date 02/09/2024

**NOTICE FOR RAIL MODE CONSUMERS OF CCL FOR LOADING FROM SHIVPOOR
SIDINGS OF CCL.**

Ref: Letter no 937 from DMO Chatra dated 31/08/2024 (attached herewith)

Kind reference is requested over above-mentioned letter from District Mining Officer, Chatra whereby issues have been raised regarding supply of coal to consumers not having dealer registration. In given reference, all consumers taking coal under rail Mode from CCL are again informed that CCL shall not be able to load rakes in case of non-availability of mining permit. Thus, consumers are requested to provide details required for filing of mining permit (Form B etc) at area/siding. CCL shall not be responsible for any loss of loading in given context.

General Manager (M&S)

CCL Ranchi

Circulation To:

1) CCL Website



झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

जिला खनन कार्यालय, चतरा।

(E-Mail : dmo-chatra@jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक :-
प्रेषक,

937 / खनन, चतरा

दिनांक:- 31/08/2024

सेवा में,

जिला खनन पदाधिकारी,
चतरा।

परियोजना पदाधिकारी,
आम्रपाली कोयला परियोजना, CCL

विषय :-

कोयला क्रेता कंपनी/पावर प्लान्ट को सी0सी0एल0 शिवपूर साईडिंग (Dealer Code - 308206512001) से कोयला आपूर्ति किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :-

- (i) कार्यालय पत्रांक 436 / खनन, चतरा दिनांक 04.05.2024
- (ii) कार्यालय पत्रांक 391 / खनन, चतरा दिनांक 16.04.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से दिये गए निर्देशों को स्मरण में लाया जाए।

आपके द्वारा आम्रपाली परियोजना अन्तर्गत शिवपूर रेलवे साईडिंग पर धारित अनुज्ञप्ति (Dealer Code - 308206512001) से बिना डीलर अनुज्ञप्ति प्राप्त पावर प्लांटों/ क्रेता कंपनियों को कोयले की आपूर्ति जी जा रही है, (माह-अगस्त,2024 का प्रेषण आंकडा संलग्न) जिसमें निम्न कठिनाईयाँ है :-

- (i) क्रेता कंपनियों/पावर प्लांटों द्वारा अनुज्ञप्ति नहीं लेने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कोयला Power Sector या Non-Power Sector को प्रेषित किया गया है, तदोपरांत स्वामिस्व की गणना में स्पष्टता नहीं होती है। महालेखाकार, झारखण्ड राँची के द्वारा भी इस बिन्दु पर आपत्ति दर्ज की गई है।
- (ii) डीलर अनुज्ञप्ति Dealer Code - 308206512001 से JIMMS ID to ID E-challan निर्गत नहीं होने के कारण क्रेता कम्पनियों/पावर प्लांटों द्वारा दाखिल किए जाने वाले मासिक विवरणी में सही आँकडे परिलक्षित नहीं होते हैं।

अतः निदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर सभी कोयला क्रेताओं/पावर प्लांटों के JIMMS Dealer ID पर ही कोयले का ई-परिवहन चालान निर्गत करना सुनिश्चित करें। अनुपालन अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय द्वारा बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त क्रेता कंपनियों/पावर प्लांटों का E-Permit स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी आपकी होगी।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन,

ह0/-

जिला खनन पदाधिकारी,
चतरा।